

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 101 / 2022

तारीख रजू :- 9 5 22

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2022/)01

उनवाम

लक्ष्मी पुत्री विक्रमसिंह जाति जाट निवासी ग्राम कांचरीली तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

—वादीगण—03

बनाम

विक्रमसिंह पुत्र परमात जाति जाट निवासी ग्राम कांचरीली तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

—प्रतिवादीगण—03

दिनांक	फर्द अहकाम
9-5-22	<p>यह दावा वादी की ओर से श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 06.06.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(अनुप सिंह) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>
6/6/2022	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी क्लीक उपकीर। वादी क्लीक ने जवाब बताया कि वादी गण जजरा जार्ज नहीं चलाना चाहते हैं। वादी गण जजरा जीटलेस में जारिज करना चाहते हैं। अल. मुकद. 101/2022 दावा लक्ष्मी बनाम विक्रम सिंह जीटलेस में जारिज किया जाता है। पत्रावली पेश करने के लिए नम्बर 101/2022 में कम रज।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)</p>

~~...~~
~~...~~
Mo + Pres
P. M.
(देवी सिंह)